संख्या-58/2016/811(1)/41-16-65 यो0/2015

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 20 मई, 2016

विषय- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में तहसील जमानिया के अन्तर्गत ग्राम-बारा में गंगा नदी के दांए तरफ दरगाह से शिवाला घाट तक पाथवे के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-166/6-1-1(574)/2016, दिनांक 12-05-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद गाजीपुर में तहसील जमानिया के अन्तर्गत ग्राम-बारा में गंगा नदी के दांए तरफ दरगाह से शिवाला घाट तक पाथवे के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0 39.28 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 62/2015/688/41-15-65यो0/2015, दिनांक 20.03.2015 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में तहसील जमानिया के अन्तर्गत ग्राम-बारा में गंगा नदी के दांए तरफ दरगाह से शिवाला घाट तक पाथवे के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि रू0 29.28 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं -

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
3. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की फोटोग्राफी कराकर तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रगति के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-पर्यटन अवसंरचना-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-58/2016/811(2)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
4- जिलाधिकारी, गाजीपुर।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
7- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी।
8- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, वाराणसी।
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in